

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक — F7(4)New Courses/Acad/CCE/2024-17900

प्राचार्य
सम्बन्धित महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:— नवीन पाठ्यक्रम बीबीए व बीसीए में प्रवेश प्रक्रिया के क्रम में।

सन्दर्भ:— विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक राजकाज नं. 9830378 व 9830387 दिनांक 16.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि विभाग के समसंख्यक आदेशों के द्वारा 15 दिवस में ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जानी थी। विद्यार्थियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया 30 सितम्बर 2024 तक सम्पादित कर प्रवेशित विद्यार्थियों के फॉर्म ऑनलाईन पोर्टल पर इन्द्राज करना सुनिश्चित करें।

एआईसीटीई के नियमानुसार बीबीए (01 वर्ग) में प्रवेश सीमा, अधिकतम 60 विद्यार्थी एवं बीसीए (01 वर्ग) में प्रवेश सीमा, अधिकतम 40 विद्यार्थी रहेगी।

प्राचार्यों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचनाओं को समाचार पत्र/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया /दूरभाष/सोशल मीडिया यथा वाट्सएप आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाना भी सुनिश्चित करें।

अन्य दिशा निर्देश पूर्व की भाँति यथावत रहेंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रो० विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि:—

- विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर।
- रजिस्ट्रार, संबद्धक विश्वविद्यालय, राजस्थान।
- वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(प्रो० विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

Signature valid

Digitally signed by Vija Singh Jat
Designation: Joint Director
Date: 2024.09.19 15:09:52 IST
Reason: Approved

